



जैवविविधता पर कन्वेंशन का COP-16

प्रलिस के लयि:

जैवविविधता पर कन्वेंशन (CBD), राषट्रीय जैवविविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP), कुनमगि-मॉन्टरयिल वैश्वकि जैवविविधता फरेमवरक (KMGBF), डजिटिल सीकर्वेस इनफारमेशन (DSI), जीनोमकि सीकर्वेस, कुनमगि जैवविविधता कोष (KBF), कृतरमि जीव वजिज्ञान, DNA अनुकरण, जीन एडिटिंग, पारसिथतिकि या जैवकि रूप से महत्त्वपूर्ण समुद्री कषेतर (EBSA), जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, एक सवासथ्य, जीवति संशोधति जीव (LMO), राषट्रीय जैवविविधता प्राधकिरण (NBA), जैवविविधता प्रबंधन समतियि।

मेन्स के लयि:

कुनमगि-मॉन्टरयिल वैश्वकि जैवविविधता फरेमवरक का महत्त्व, भारत के जैवविविधता लक्ष्य।

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यो?

हाल ही में जैवविविधता पर कन्वेंशन (CBD) के पक्षकारों का 16वाँ सम्मेलन (COP-16) कैली, कोलंबिया में संपन्न हुआ।

- भारत ने COP-16 में कुनमगि-मॉन्टरयिल वैश्वकि जैवविविधता फरेमवरक (KMGBF) के साथ संरेखति करते हुए संशोधति राषट्रीय जैवविविधता रणनीतियि और कार्य योजना (NBSAP) का शुभारंभ कयि।

COP-16 से CBD तक के मुख्य बट्टि क्यो हैं?

- कैली फंड:** कैली फंड की स्थापना आनुवंशकि संसाधनों पर डजिटिल सीकर्वेस इनफारमेशन (DSI)/डजिटिल अनुकरण सूचना के उपयोग से होने वाले लाभों का नषिपकष और न्यायसंगत वतिरण सुनिश्चति करने के लयि की गई थी।
 - कैली फंड का कम-से-कम 50% हसिसा स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों, वशिषकर महिलाओं तथा युवाओं की स्वतः पहचानी गई आवश्यकताओं पर केंद्रति होगा।
 - DSI जीनोम अनुकरण (जीनोमकि सीकर्वेस) पर्यावरण और जैवकि अनुसंधान में मूल रूप से भूमकि नभाने वाले डेटा को संदरभति करता है।
- स्थायी सहायक नकिय:** पक्षों ने अनुच्छेद 8j के आधार पर एक नया स्थायी सहायक नकिय स्थापति करने पर सहमति वियक्त की जो स्वदेशी लोगों के ज्ञान, नवाचारों और प्रथाओं के संरक्षण एवं रखरखाव से संबंधति है।
 - उन्होंने स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों पर कार्य हेतु एक नया कार्यक्रम भी अपनाया।
 - इसमें वशिषटि कार्यों की रूपरेखा प्रदान की गई है, ताक यह सुनिश्चति कयि जा सके क स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय जैवविविधता के संरक्षण, सतत् उपयोग तथा उचति वतिरण में सार्थक योगदान दें।
- संसाधनों का संग्रहण:** सभी पक्षकारों ने वशिष भर में जैवविविधता पहलों का समर्थन करने हेतु वर्ष 2030 तक प्रतविरष 200 बलियिन अमेरकि डॉलर की सहायता के लयि एक नई “संसाधनों के संग्रहण की रणनीति (Strategy for Resource Mobilization)” वकिसति करने पर सहमति वियक्त की।
 - कुनमगि जैवविविधता कोष (KBF) को COP-16 में चीन के 200 मलियिन अमेरकि डॉलर के योगदान के साथ लॉन्च कयि गया।
 - एक अन्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक जैवविविधता को नुकसान पहुँचाने वाली व्यवसायों के लयि सब्सडिी को प्रतविरष 500 बलियिन अमेरकि डॉलर पर पुनर्निदेशति करना है।
- राषट्रीय जैवविविधता लक्ष्य:** CBD के 196 पक्षकारों में से 119 देशों ने 23 KMGBF लक्ष्यों तक पहुँचने में सहायता हेतु राषट्रीय जैवविविधता लक्ष्य प्रस्तुत कयि।
 - वर्तमान में 44 देशों ने राषट्रीय लक्ष्यों के कार्यान्वयन के समर्थन के लयि राषट्रीय जैवविविधता रणनीतियि और कार्य योजनाएँ प्रस्तुत की हैं।
- सथिटकि बायोलांजी:** COP-16 ने वकिसशील देशों के बीच कषमता निर्माण, प्रोद्योगकि हस्तांतरण और ज्ञान-साझाकरण के माध्यम से असमानताओं को दूर करने में मदद करने हेतु एक नई वषियगत कार्य योजना पेश की।

- सथितिकि बायोलाॅजी में DNA सीक्वेंस (अनुक्रमण) और जीन एडिटिंग के माध्यम से नए जीवों को नरिमति या मौजूदा जीवों को संशोधित करने के लिये इंजीनियरिंग सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है।
- आकरामक वदिशी प्रजातियाँ: यह नए डेटाबेस, सीमा पार व्यापार वनिमिन और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से आकरामक वदिशी प्रजातियों के प्रबंधन हेतु दशा-नरिदेश प्रस्तावित करता है।
- पारस्थितिकि या जैविक रूप से महत्त्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र (EBSA): COP-16 ने EBSA की पहचान करने के लिये एक नई और वकिसति प्रक्रिया पर सहमति वियकृत की।
 - वर्ष 2010 में स्थापित EBSA महासागर के सबसे महत्त्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करता है। तब से महासागर संरक्षण प्रयासों में एक केंद्र बढि बन गया है।
- सतत् वन्यजीव प्रबंधन और पादप संरक्षण: सतत् वन्यजीव प्रबंधन पर लिये गए नरिणय में नगिरानी, क्षमता नरिमाण और स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों एवं महिलाओं की समावेशी भागीदारी की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।
 - पादप संरक्षण में प्रगतभिपाने योग्य और वैश्विक जैवविविधता लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिये।
- जैवविविधता और स्वास्थ्य पर वैश्विक कार्य योजना: COP-16 में, CBD पक्षकारों ने जैवविविधता और स्वास्थ्य पर एक वैश्विक कार्य योजना को मंजूरी दी, जसि जूनोटिक रोगों के उद्भव तथा गैर-संचारी रोगों को रोकने एवं सतत् पारस्थितिकि तंत्र को बढावा देने में मदद करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
 - यह रणनीति एक समग्र "वन हेल्थ (One Health)" दृष्टिकोण को अपनाती है, इसके तहत पर्यावरण, पशु तथा मानव स्वास्थ्य के अंतरसंबंधों को शामिल किया जाता है।
- जोखिमपूर्ण मूलयांकन: कैली में, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के पक्षकारों ने इंजीनियरड जीन वाले जीवित संशोधित जीवों (living modified organisms- LMO) द्वारा उत्पन्न जोखिमों के आकलन पर नए सवैच्छिक मार्गदर्शन को अपनाया गया है।
- अफ्रीकी मूल के लोगों को मान्यता: कन्वेंशन के कार्यान्वयन में अफ्रीकी मूल के लोगों की भूमिका को मान्यता देने पर नरिणय लिया गया है।

कुनमगि-मॉन्टरयिल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क (KMGBF)

- परिचय: यह एक बहुपक्षीय संधि है जसिका उद्देश्य वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर जैवविविधता से होने वाले नुकसान को रोकना तथा उसकी भरपाई करना है।
 - दिसंबर, 2022 में पार्टियों के 15वें सम्मेलन (COP) के दौरान अपनाया गया, जो सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) का समर्थन करता है तथा जैवविविधता के लिये वर्ष 2011-2020 की रणनीतिक योजना की उपलब्धियों पर आधारित है।
- उद्देश्य और लक्ष्य: इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2030 तक कम-से-कम 30% क्षीण स्थलीय, अंतरदेशीय जल, समुद्री एवं तटीय पारस्थितिकि तंत्र को प्रभावी ढंग से बहाल किया जाए।
 - इसमें वर्ष 2030 तक त्वरित कार्रवाई हेतु 23 कार्य-उन्मुख वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं।
 - इसके तहत प्रत्येक राष्ट्र के लिये अपनी भूमि और जल क्षेत्र का 30% हसिसा अलग रखने की आवश्यकता नहीं है, यह सामूहिक वैश्विक प्रयासों को संदर्भित करता है।
 - इसके तहत प्रत्येक देश के लिये अपने भूमि और जल क्षेत्र का 30% हसिसा आवंटित करना अनविर्य नहीं है। यह सामूहिक वैश्विक प्रयासों को संदर्भित करता है।
- दीर्घकालिक दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण वर्ष 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव के लिये सामूहिक प्रतबिद्धता की परकिलपना को प्रदर्शित करता है तथा जैवविविधता संरक्षण एवं सतत् उपयोग से संबंधित वर्तमान कार्यों व नीतियों के लिये एक आधारभूत मार्गदर्शिका प्रदान करता है।

नोट:

- ऐतिहासिक संदर्भ: भारत की पहली राष्ट्रीय जैवविविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) वर्ष 1999 में बनाई गई थी, जसि आइसी जैवविविधता लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिये वर्ष 2008 और 2014 में संशोधित किया गया था।
- NBSAP की आवश्यकता: भारत एक महाविविधता वाला देश है, जसिमें 55,000 से अधिक पादप प्रजातियाँ और 100,000 पशु प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जनिका संरक्षण आजीविका एवं पारस्थितिकि स्वास्थ्य दोनों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

भारत के संशोधित NBSAP के मुख्य बढि क्या हैं?

- संशोधित NBSAP: संशोधित NBSAP में KMGBF के वैश्विक उद्देश्यों के अनुरूप 23 राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्यों की रूपरेखा प्रदान की गई है।
 - लक्ष्य जैवविविधता के खतरों को कम करने, सतत् उपयोग को बढावा देने, पारस्थितिकि तंत्र अनुकूलन, प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति एवं सतत् प्रबंधन पर केंद्रित हैं।
- व्यापक संरचना: संशोधित NBSAP में प्रासंगिक विश्लेषण, क्षमता नरिमाण, वित्तपोषण तंत्र एवं जैवविविधता नगिरानी ढाँचे को संबोधित करने वाले 7 अध्याय शामिल हैं।
- कार्यान्वयन: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) बहु-स्तरीय शासन संरचना द्वारा समर्थित जैवविविधता संरक्षण की देख-रेख करता है।
 - प्रमुख संस्थाओं में राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य जैवविविधता बोर्ड (SBB), केंद्रशासित प्रदेश जैवविविधता परिषद (UTBC) और जैवविविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC) शामिल हैं।

- **लक्ष्य:**
 - **संरक्षण क्षेत्र:** जैवविविधता में वृद्धि हेतु **30% क्षेत्रों** को प्रभावी रूप से संरक्षित करने का लक्ष्य।
 - **आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन:** **आक्रामक विदेशी प्रजातियों** के प्रवेश और प्रबंधन में **50%** की कमी का लक्ष्य।
 - **सतत उपभोग:** सतत उपभोग विकल्पों को सक्षम बनाना और खाद्य अपशिष्ट को आधे से कम करना।
 - **प्रदूषण में कमी:** **प्रदूषण को कम करने, पोषक तत्वों की हानि और कीटनाशक जोखिम को आधा करने** के लिये प्रतबिद्धता।
 - **लाभ साझाकरण:** आनुवंशिक संसाधनों, डिजिटल सीक्वेंस इनफार्मेशन तथा संबंधित पारंपरिक ज्ञान से **लाभ के नष्टिपक्ष और न्यायसंगत साझाकरण को** बढ़ावा देना।
- **वित्तपोषण:** भारत द्वारा **वित्त वर्ष 2025-30 तक** जैवविविधता और संरक्षण पर लगभग 81,664 करोड़ रुपए खर्च किये जाने की उम्मीद है।
 - सम्मेलन में भारतीय अधिकारियों द्वारा कहा गया कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये **अंतरराष्ट्रीय वित्त** की आवश्यकता होगी।
- **सामुदायिक सहभागिता:** स्थानीय समुदाय, विशेषकर वन-निर्भर क्षेत्रों में, संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल होंगे।

//



CBD COP15

The UN Convention on Biological Diversity (CBD) 1993 - a legally binding treaty to conserve biodiversity

CBD Conference of Parties is the Governing body of the Convention



MEETINGS OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES

EXCOP 1

COP 1 (1994)

- ▶ Nassau, Bahamas
- ▶ Proposed 29 December as International Day for Biological Diversity

- ▶ 1st extraordinary meeting of UN CBD COP
- ▶ At Cartagena, Colombia (Feb 1999) & Montreal, Canada (Jan 2000)
- ▶ Adoption of **Cartagena Protocol on Biosafety**

COP 6 (2002)

- ▶ The Hague, Netherlands
- ▶ **Global Taxonomy Initiative, Global Strategy for Plant Conservation** adopted

COP 5 (2000)

- ▶ Nairobi, Kenya
- ▶ UNGA adopted **22 May** as International Day for Biological Diversity

COP 10 (2010)

- ▶ Nagoya, Japan
- ▶ **Nagoya Protocol** (Access to Genetic Resources and Fair & Equitable Sharing of Benefits) adopted
- ▶ Strategic Plan for Biodiversity 2011-20 and **Aichi Biodiversity Targets**
- ▶ GBO 3

COP 8 (2006)

- ▶ Curitiba, Brazil
- ▶ **Global Biodiversity Outlook (GBO) Report 2 (GBO 1 in 2001)**

COP 11 (2012)

- ▶ Hyderabad, India

COP 14

- ▶ Sharm El-Sheikh, Egypt

PHASE-I

- ▶ Theme - **Ecological Civilization: Building a Shared Future for All Life on Earth**
- ▶ Held in **Kunming, China** (October 2021)
- ▶ Kunming Biodiversity Fund

COP 15

PHASE-II

- ▶ Held in **Montreal, Canada**
- ▶ Adopted **Post 2020 Global Biodiversity Framework - 4 goals & 23 targets** to be achieved by 2030.
- ▶ **30 by 30 Target** - restore 30% degraded ecosystems and protect at least 30% of the world's lands, oceans and coastal areas by 2030
- ▶ No single country met all **20 Aichi targets** (expired in 2020) within its own borders



Drishti IAS

नबिषकरष:

जैवविधिता पर कनर्वेशन के पकषकारों के 16वें सम्मेलन (COP 16) ने वैश्वकि जैवविधिता परयासों में महत्त्वपूर्ण प्रगतिको चहिनति कया, वशिष रूप से कैली फंड की स्थापना, संशोधति राष्ट्रीय जैवविधिता रणनीत और कार्य योजनाओं तथा कुनमगि-मॉन्टरयिल वैश्वकि जैवविधिता फ्रेमवर्क के प्रतप्रतबिद्धता के माध्यम से, जसिमें समान संसाधन साझाकरण एवं सतत् प्रथाओं पर ज़ोर दया गया ।

दृषट मुखय परीकषा प्रश्न:

प्रश्न: भारत की संशोधति राष्ट्रीय जैवविधिता रणनीत और कार्य योजना (NBSAP) की प्रमुख वशिषताओं तथा कुनमगि-मॉन्टरयिल वैश्वकि जैवविधिता फ्रेमवर्क (KMGBF) के साथ इसके संरेखण का मूल्यांकन कीजयि ।

UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2023)

1. भारत में जैवविधिता प्रबंधन समतियिँ नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासलि करने के लयि प्रमुख कुंजी हैं ।
2. जैवविधिता प्रबंधन समतियिँ के, अपने कषेत्राधिकार के अंतरगत, जैवकि संसाधनों तक पहुँच के लयि संग्रह शुल्क लगाने की शक्तसहित, पहुँच और लाभ सहभागति नरिधारति करने हेतु महत्त्वपूर्ण प्रकार्य हैं ।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न: 'भूमंडलीय परयावरण सुवधि' के संदर्भ में नमिनलखिति में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2014)

- (a) यह 'जैवविधिता पर अभसिमय' एवं 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढाँचा अभसिमय' के लयि वत्तीय क्रयावधिके रूप में काम करता है
- (b) यह भूमंडलीय स्तर पर परयावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है
- (c) यह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के अधीन एक अभकिरण है जो अल्पवकिसति देशों को उनके परयावरण की सुरक्षा के वशिषिट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और नधियिँ का अंतरण सुकर बनाता है ।
- (d) दोनों (a) और (b)

उत्तर: (a)

प्रश्न. "मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" यह पहल कसिके द्वारा प्रवर्तति की गई है? (2018)

- (a) जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल
- (b) UNEP सचविलय
- (c) UNFCCC सचविलय
- (d) वशिष मौसमवज्जान संगठन

उत्तर: (c)

????

प्रश्न: भैषजकि कंपनयिँ द्वारा आयुर्वज्जान के पारंपरिक ज्जान को पेटेंट कराने से भारत सरकार कसि प्रकार रक्षा कर रही है? (2019)

